



2026:AHC:173422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8463 सन् 2026

संजय कुमार श्रीवास्तव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : हर्ष वर्धन सिंह, शेफाली सिंह

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक - **संजय कुमार श्रीवास्तव** को मुकदमा अपराध संख्या 11 सन् 2020, धारा 409, 467, 468, 471, 477-ए, 120-बी, 34 भा.द.सं. एवं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना वाराणसी सेक्टर (ई.ओ.डब्ल्यू.), जनपद वाराणसी में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि पूर्व में आवेदक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर तैनात था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि घटना वर्ष 2004-05 की है तथा आवेदक घटना के समय संबंधित स्थान पर तैनात नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2020 में दर्ज कराई गई है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसका वर्तमान प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप मिथ्या हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का प्रकरण धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है। आवेदक के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकरण नहीं बनता है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा। आवेदक को पुलिस द्वारा किसी भी समय अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त चौथी राम यादव को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.7.2026 द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. संख्या 7014 सन् 2026 (चौथी राम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में अग्रिम जमानत पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को विवादित नहीं करते हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि संबंधित अपराध का व्यापक रूप से समाज पर प्रभाव पड़ेगा। यह नहीं दर्शाया गया है कि कृत्य से समाज को हानि पहुंचती है। अभियोग व्यक्तियों के मध्य विवाद से उत्पन्न हुए हैं। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता ऐसी है कि वह आवेदक को अग्रिम जमानत की राहत से वंचित करे। आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की स्थिति में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्ण विवेचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसी कोई चिंता विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा नहीं उठाई गई है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोई सामग्री, तथ्य, परिस्थिति अथवा चिंता नहीं दर्शाई गई है कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसकी मात्र स्वतंत्र उपस्थिति साक्षियों को भयभीत करेगी अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग न्याय को विफल करने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने हेतु करेगा।

6. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। ऐसी कोई तात्त्विक विशिष्टियां अथवा परिस्थितियां राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा नहीं दर्शाई गई हैं, जो आवेदक के न्याय से भागने, न्याय की प्रक्रिया को विफल करने अथवा अपराधों की पुनरावृत्ति या साक्षियों को भयभीत करने एवं इसी प्रकार के अन्य व्यवधान उत्पन्न करने का संकेत करती हों।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रस्तुत आदेश के पैरा 2 में वर्णित अपराध के संबंध में आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है। आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर रु. 25,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा जब-जब अपेक्षित हो, पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा।
- (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- (iv) यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय/विवेचना अधिकारी को नए आवासीय पते की लिखित सूचना देगा।
- (v) आवेदक विवेचना में सहयोग करेगा तथा जब-जब अपेक्षित हो, पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- (vi) आवेदक पुलिस विवेचना में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तथा पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए अथवा एकत्रित किए जाने वाले साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (vii) आवेदक विधि-व्यवस्था बनाए रखेगा।
- (viii) आवेदक बंधपत्र निष्पादित करते समय अपना पता एवं मोबाइल नंबर विवेचना अधिकारी तथा संबंधित न्यायालय को उपलब्ध कराएगा।
- (ix) आवेदक विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा उपर्युक्त अपराधों के विचारण को पूर्ण करने में न्यायालय का सहयोग करेगा।
- (x) संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक अथवा उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति को प्रस्तुत आदेश का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में विवेचना अधिकारी आवेदक को प्रदान किए गए संरक्षण के निरस्तीकरण हेतु समुचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

18 अगस्त, 2026

डी. तमांग

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।